

पुस्तक,
शिव प्रकाश गुप्ता
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन
लखनऊ में

शिक्षा निदेशक सि०।
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

शिक्षा 171 अनुसूची
लखनऊ दिनांक अक्टूबर, 2003
विषय: विद्या सागर स्कूल, मोहन नगर, धिनीली रोड, बड़ौत धागमत को नर्सरी से
कक्षा-8 तक की उच्चैवी माध्यम से "ब" श्रेणी की अस्थायी मान्यता प्रदान
करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपयुक्त विषयक निदेशालय के पत्रांक - सी०एस०/डी०ई०/1384/131/1/
2003-04 दिनांक 15-07-2003 का कृपया तन्मूर्त गृहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह बताने का निदेश हुआ है शासन द्वारा
समस्त विद्यार्थियों का विद्या सागर स्कूल मोहन नगर, धिनीली रोड, बड़ौत धागमत को
नर्सरी से कक्षा-8 तक की उच्चैवी माध्यम से "ब" श्रेणी अस्थायी मान्यता शासनादेश
संख्या - 2926/15-6-1996-10/20/91 दिनांक 14-12-1995 में निहित मानकी/
शर्तों के अधीन स्तद्वारा प्रदान की जाती है।


कृपया तदनुसार अवगत होते हुए आवश्यक कार्यवाही करने का सूट करें।

भवदीय
शिव प्रकाश गुप्ता
संयुक्त सचिव

सूचकांक सम्बंधक 111 तद्विनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, मेरठ मण्डल।
3. जिला विद्यालय निरीक्षक, आगमत।
4. निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय उ०पु० लखनऊ।
5. प्रबन्धक, विद्या सागर स्कूल, मोहन नगर, धिनीली रोड, बड़ौत धागमत।
6. गार्ड फाइल।



आज्ञा से
शिव प्रकाश गुप्ता
संयुक्त सचिव

For VIDYA SAGAR SCHOOL
Chairman Secretary